प्रारंभिक परीक्षा

वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act,2006)

संदर्भ

अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन पर यह आरोप है कि उसने केंद्र को ₹72,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार परियोजना के लिए यह झूठी रिपोर्ट दी कि वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत जनजातीय वन अधिकारों का निपटारा हो चुका है, जबकि जनजातीय प्रतिनिधियों का कहना है कि उनके अधिकार अब भी अनसुलझे हैं।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA, 2006) के बारे में -

- **आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 कहा जाता है।**
- इसका उद्देश्य वनवासी समुदायों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना है।
- **यह आदिवासियों और पारंपरिक वनवासियों के भूमि और वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को मान्यता देता है, जिन पर वे निर्भर हैं।**
- यह स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

FRA की आवश्यकता, 2006 -

- जनजातियों का वनों से गहरा सांस्कृतिक और आजीविका संबंध है।
- औपनिवेशिक शासन और स्वतंत्रता के बाद की नीतियों ने आदिवासियों को जंगलों(वनों) से अलग कर दिया।
- पैतृक अधिकारों को मान्यता न दिए जाने के कारण और विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन हुआ।
- **FRA अधिनियमित किया गया:**
  - जनजातियों के वन अधिकारों को पुनः मान्यता देना।
  - वनों के साथ उनके सहजीवी संबंध की रक्षा करना।
  - जीविका सुरक्षा और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना।

FRA, 2006 के उद्देश्य -

- स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त बनाना।
- वन-आश्रित समुदायों की आजीविका सुरक्षित करना → गरीबी कम करना।
- वनों के संरक्षण और सतत उपयोग को मजबूत करना।
- समावेशी प्राकृतिक संसाधन शासन को बढ़ावा देना।

FRA, 2006 के प्रमुख प्रावधान -

- **आजीविका के लिए वन भूमि पर रहने और खेती करने के अधिकारों को मान्यता दी गई है।**
- यह वन संसाधनों पर अधिकार प्रदान करता है, जैसे:
  - लघु वन उपज (MFP) का स्वामित्व और उपयोग।
  - सामुदायिक अधिकार (जैसे, निस्तार)।
  - आदिम और पूर्व-कृषि समुदायों के लिए आवास अधिकार।
  - सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा, पुनर्जीवन, संरक्षण और प्रबंधन के अधिकार।
- ग्राम सभा की मंजूरी से आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिताओं (स्कूल, डिस्पेंसरी, बिजली, पानी, दूरसंचार आदि) के लिए वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई है।
- **ग्राम सभा → उप-मंडल समिति → जिला स्तरीय समिति के माध्यम से वन अधिकारों का निर्णय।**

वन अधिकार अधिनियम के तहत वनवासियों को दिए गए अधिकार -

- **भूमि अधिकार**
    - खेती की गई वनभूमि का स्वामित्व (अधिकतम 4 हेक्टेयर तक)।
    - 13 दिसम्बर 2005 से पहले की गई खेती पर मान्य।
    - दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य नहीं।
- **उपयोग के अधिकार**
    - लघु वन उपज (जड़ी-बूटी, तेंदू पत्ते, औषधीय पौधे आदि - लकड़ी को छोड़कर) एकत्र करना और उनका उपयोग करना।
    - चरागाहों और जल निकायों तक पहुंच।
    - चरवाहे/खानाबदोश समुदायों के पारंपरिक उपयोग वाले क्षेत्रों पर अधिकार।
- **सामुदायिक अधिकार**
    - वनों, वन्यजीवों और जैव विविधता के प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार।
- **विस्थापन से सुरक्षा**
    - राष्ट्रीय उद्यानों या संरक्षित क्षेत्रों से बिना उचित प्रक्रिया के मनमाने ढंग से बेदखली नहीं की जाएगी।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ और मुद्दे -

- **जागरूकता का अभाव**: आदिवासी अक्सर अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं → शोषण के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- **अन्य कानूनों के साथ टकराव**: **पेसा**(**PESA**) **अधिनियम, 1996** और संयुक्त वन प्रबंधन प्रथाओं के साथ ओवरलैप।
- **कमजोर संस्थागत क्षमता**: जनजातीय कार्य मंत्रालय (नोडल मंत्रालय) में FRA कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कुशल कर्मचारियों का अभाव है।
- **गलत अस्वीकृतियाँ**: खराब सत्यापन प्रक्रियाओं के कारण कई दावे अस्वीकृत कर दिए गए।
- **निष्क्रिय सतर्कता समितियां**: राज्य स्तरीय निगरानी अक्सर अप्रभावी होती है।
- **व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह**: जारी किए गए अधिकांश शीर्षक व्यक्तिगत हैं, केवल ~4% समुदाय-आधारित हैं।
- **कानूनी जटिलता**: सरकार FRA के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को ठीक करने के बजाय नए नियम/कानून पेश करती है → अतिव्यापी कानूनी ढांचे का निर्माण करती है।

स्रोत: द हिंदू

लिपुलेख दर्रा

संदर्भ

नेपाल ने उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने के भारत-चीन के फैसले का विरोध किया है, इसे अप्रत्याशित और अस्वीकार्य बताया है क्योंकि यह क्षेत्र विवादित (कालापानी-लिपुलेख-लिंपियाधुरा) है।

लिपुलेख दर्रा – स्थान और विशेषताएँ

- **उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भारत-नेपाल-चीन त्रि-जंक्शन के पास एक उच्च ऊंचाई वाला पर्वत दर्रा।**
- **उत्तराखंड (भारत) को तिब्बत (चीन) से जोड़ता है।**
- **ऊँचाई: ~5,334 मीटर (17,500 फीट).**
- अपनी ऊंचाई और रणनीतिक स्थिति के कारण यह उच्च हिमालय के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
- **चीन के साथ व्यापार के लिए पहली भारतीय सीमा चौकी खोली गई** (1992)।
    - इसके बाद **शिपकी ला (हिमाचल प्रदेश, 1994)** और **नाथू ला (सिक्किम, 2006) सीमा चौकी खोली गई**।

लिपुलेख दर्रे का महत्व -

- **प्राचीन व्यापार मार्ग**
    - ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग भारत को तिब्बती पठार से जोड़ने वाले प्रमुख व्यापार गलियारे के रूप में किया जाता रहा है।
- **धार्मिक महत्व**
    - एक प्रमुख हिंदू तीर्थयात्रा मार्ग, **कैलाश मानसरोवर यात्रा का अभिन्न अंग।**
- **सामरिक महत्व**
    - विवादित कालापानी-लिंपियाधुरा क्षेत्र के पास स्थित है, जिस पर भारत और नेपाल दोनों दावा करते हैं।
    - हिमालयी सीमांत क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण सीमा व्यापार और सैन्य मार्ग के रूप में कार्य करता है।

उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे -

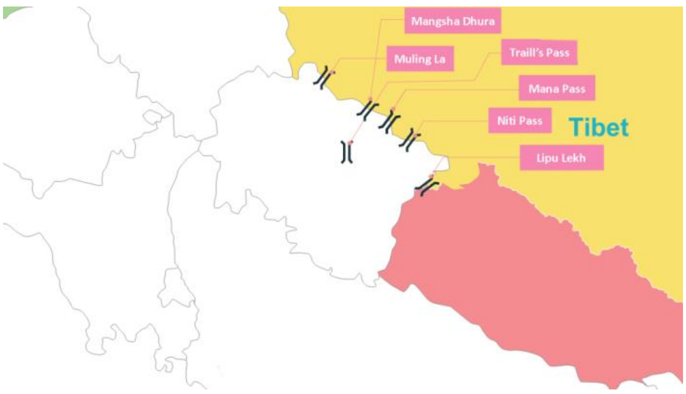

- **माना दर्रा**
    - यह उत्तराखंड में तिब्बत की सीमा पर स्थित है।
    - **ऊंचाई: 5610 मीटर.**
    - यह पवित्र स्थान **बद्रीनाथ से थोड़ा उत्तर में स्थित है।**
    - सर्दियों के दौरान बंद रहता है (नवंबर-अप्रैल)।
- **मंगशा धुरा**
    - उत्तराखंड और तिब्बत के बीच सीमा दर्रा।

  - **कैलाश-मानसरोवर** मार्ग पर तीर्थयात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है।
- नीति दर्रा
  - उत्तराखंड और तिब्बत के बीच सीमा दर्रा।
  - सर्दियों के दौरान बंद रहता है (नवंबर-अप्रैल)।
- मुलिंग ला दर्रा
  - उत्तराखंड और तिब्बत के बीच सीमा दर्रा।
  - **गंगोत्री के उत्तर में** स्थित है।
  - **ऊंचाई**: महान हिमालय में **5669 मीटर।**

स्रोत: द हिंदू

कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP)

संदर्भ

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में कथित अनियमितताओं पर न्यायमूर्ति पी.सी. घोष आयोग की रिपोर्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

KLIP के बारे में -

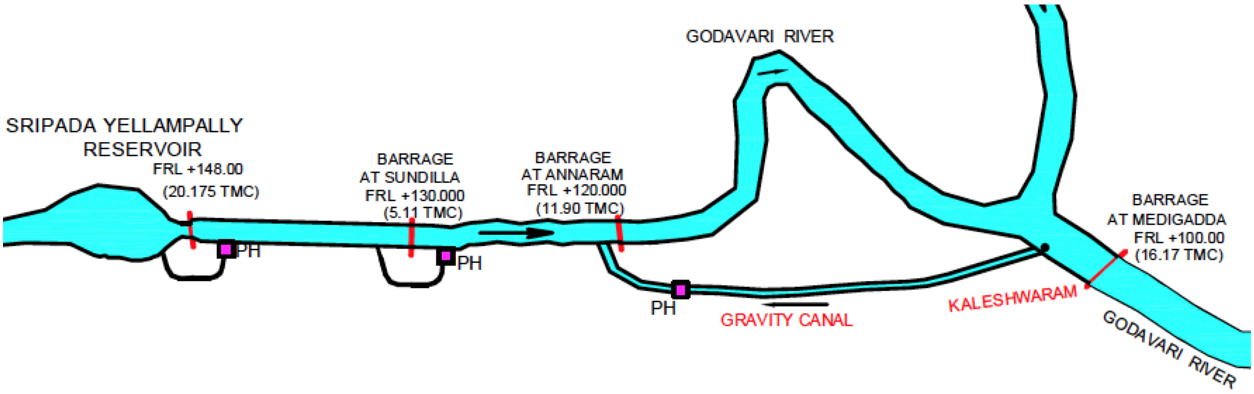

- **कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP) दुनिया की सबसे बड़ी बहु-चरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है**, **जो तेलंगाना के भूपलपल्ली जिले में गोदावरी नदी पर बनाई गई है।**
- यह परियोजना 13 जिलों में 500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली है, जिसमें 1,800 किलोमीटर का नहर नेटवर्क है।
- **निर्माण जून 2019 में शुरू हुआ।**
- इसे 240 टीएमसी पानी उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है**,** जिसमें से 70% सिंचाई के लिए आवंटित किया जाता है।
- **यह परियोजना प्राणहिता और गोदावरी नदियों के संगम पर स्थित है।**
- **KLIP** में विशाल पंप प्रणालियों और सर्ज पूलों का उपयोग करके पानी को ऊँचाई पर स्थित डिलीवरी चैंबर तक उठाया जाता है**,** जिससे इसे व्यापक कमांड क्षेत्र में वितरित किया जा सके।

गोदावरी नदी -

- **गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है।**
- इसका **उद्गम त्र्यंबकेश्वर (महाराष्ट्र) से** होता है।
- यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले **महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से गुजरते हुए 1,465 किलोमीटर पूर्व की ओर बहती** है।
- **प्रमुख बाएँ तट की सहायक नदियाँ:** पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी।
- **प्रमुख दाएँ तट की सहायक नदियाँ:** प्रवरा, मंजीरा, मनैर।

स्रोत: द हिंदू

अलजीरिया

संदर्भ

सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने और सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए अल्जीरिया का दौरा करेंगे।

अल्जीरिया के बारे में -

- **अवस्थिति: उत्तरी अफ्रीका**; ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को और भूमध्य सागर से घिरा हुआ।
- **राजधानी: अल्जीयर्स**
- **भूगोल:**
  - **अफ्रीका का सबसे बड़ा देश (और विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश)।**
  - **सहारा रेगिस्तान** (इसकी 80% भूमि पर फैला हुआ है)
- **सरकार:** राष्ट्रपति गणराज्य।
- **भाषा:** अरबी (आधिकारिक), बर्बर (मान्यता प्राप्त), फ्रेंच व्यापक रूप से प्रयुक्त।
- **धर्म:** मुख्यतः इस्लाम।
- **अर्थव्यवस्था:**
  - तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात पर अत्यधिक निर्भर (यूरोप के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता)।
  - ओपेक का सदस्य
- **सामरिक महत्व:**
  - अफ्रीकी संघ (AU) और अरब लीग में प्रमुख कर्ता।
  - ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, आतंकवाद निरोध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) संबंधों के संदर्भ में भारत के लिए महत्वपूर्ण।
- **भारत-अल्जीरिया संबंध:**
  - **1962 (अल्जीरियाई स्वतंत्रता) के बाद से राजनयिक संबंध।**
  - ऊर्जा, रक्षा, शिक्षा और आतंकवाद-निरोध में सहयोग।
  - कश्मीर और अन्य वैश्विक मुद्दों पर भारत का समर्थन किया।

स्रोत: द हिंदू

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व

संदर्भ

हाल ही में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (STR) में एक बाघ मृत पाया गया। अधिकारियों को संदेह है कि बाघ की मौत का कारण क्षेत्रीय संघर्ष था।

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (STR) -

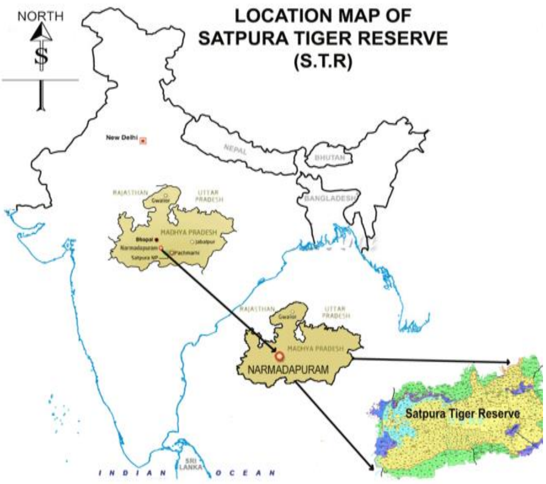

- अवस्थिति और भूगोल
    - **मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित।**
    - मध्य भारतीय भूभाग की **सतपुड़ा पर्वतमाला में, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित।**
    - **सतपुड़ा नाम का अर्थ है "सात तहें", जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जलविभाजक के रूप में कार्य करती हैं।**
    - **2,133 वर्ग किमी** में फैला।
    - इसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्यजीव अभयारण्य और पचमढ़ी अभयारण्य शामिल हैं।
    - **भूभाग**: ऊबड़-खाबड़ बलुआ पत्थर की चोटियाँ, संकरी घाटियाँ, खड्ड और घने जंगल।
- सांस्कृतिक और भूवैज्ञानिक महत्व
    - इसमें 1,500-10,000 वर्ष पुराने 50 से अधिक शैलाश्रय हैं, जो मानव विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
    - भूवैज्ञानिक संरचनाओं में डेक्कन ट्रैप श्रृंखला, गोंडवाना और रूपांतरित चट्टानें शामिल हैं।
- वनस्पति
    - मध्य भारतीय उच्चभूमि के मिश्रित पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत।
    - **प्रमुख प्रजातियाँ:** सागौन, बाँस, भारतीय आबनूस, जंगली आम, भारतीय करौंदा, साटनवुड, विभिन्न बबूल, आदि।
    - 26 हिमालयी प्रजातियों और 42 नीलगिरि प्रजातियों के साथ समृद्ध विविधता।
    - पश्चिमी घाट के उत्तरी छोर के रूप में जाना जाता है।
- जीव-जंतु
    - **यहाँ बाघ, तेंदुआ, भालू, भारतीय गौर (बाइसन) और सांभर हिरण जैसी प्रतिष्ठित प्रजातियाँ पाई जाती हैं।**
    - पक्षियों में भारतीय मोर, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल और गिद्धों की कई प्रजातियाँ शामिल हैं।

स्रोत: द हिंदू

जीएसटी परिषद(GST Council)

संदर्भ
जीएसटी परिषद 3-4 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में अपनी 56वीं बैठक आयोजित करेगी जिसमें जीएसटी दर में कटौती और सुधारों पर चर्चा की जाएगी।

जीएसटी परिषद -
- **101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत अनुच्छेद 279A के माध्यम से स्थापित।**
- यह एक **संवैधानिक निकाय** है जो **जीएसटी से संबंधित मुद्दों और केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों को सिफारिशें देने के लिए उत्तरदायी** है।
- सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।

विजन और मिशन -
- **विजन:** सामंजस्यपूर्ण जीएसटी प्रणाली बनाकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
- **मिशन:** व्यापक परामर्श के माध्यम से एक सरलीकृत, आईटी-संचालित जीएसटी संरचना विकसित करना।

उद्देश्य -
- जीएसटी का सुचारू और एकसमान कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- कर संरचना को सरल बनाना, व्यापक करों को समाप्त करना और अनुपालन लागत कम करना।
- जीएसटी प्रक्रियाओं की निगरानी करना और धोखाधड़ी को रोकना।

संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 279A) -
- **गठन:** संशोधन के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन करना अनिवार्य है।
- **विशिष्ट वस्तुओं पर कर:** पेट्रोलियम, डीज़ल, प्राकृतिक गैस और विमानन ईंधन पर जीएसटी लागू करने की तिथि की सिफारिश कर सकती है।
- **मार्गदर्शक सिद्धांत:** एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार को बढ़ावा देना।
- **प्रक्रियात्मक शक्तियाँ:** परिषद अपने कार्य संचालन की प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सकती है।
- **वैधता:** रिक्तियों या मामूली खामियों के बावजूद परिषद के निर्णय वैध रहते हैं।
- **विवाद निवारण:** केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी से संबंधित विवादों का समाधान कर सकती है।

संघटन -
- **अध्यक्ष:** केंद्रीय वित्त मंत्री।
- **उपाध्यक्ष:** परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित।
- **सदस्य:**
  - केंद्रीय वित्त/राजस्व राज्य मंत्री।
  - राज्यों के वित्त/कराधान मंत्री (या मनोनीत मंत्री)।
- **स्थायी आमंत्रित:** सीबीआईसी अध्यक्ष (गैर-मतदान)।
- **पदेन सचिव:** केंद्रीय राजस्व सचिव।

कार्य (अनुच्छेद 279A(4)) -
- **सिफारिश करना**:
  - जीएसटी दरें, छूट और प्रारंभिक सीमाएँ।
  - कौन-से माल और सेवाएँ जीएसटी के अंतर्गत होंगी या छूट प्राप्त होंगी।
  - मॉडल जीएसटी कानून और सप्लाई के स्थान संबंधी नियम।
  - अंतर-राज्यीय व्यापार में जीएसटी के बँटवारे (अनुच्छेद 269A) के प्रावधान।

- आपदा या विपत्ति की स्थिति में विशेष दरें।
- पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान।

जीएसटी परिषद का कामकाज -

- **कोरम:** कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य उपस्थित होने चाहिए।
- **निर्णय लेना:** भारित मतों के 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है।
- **मतदान शक्ति:**
    - केंद्र = **1/3 भारांश**।
    - राज्य (सामूहिक रूप से) = **2/3 भारांश**।

जीएसटी परिषद के प्रमुख परिणाम -

- **दोहरा जीएसटी मॉडल:** केंद्र और राज्य दोनों जीएसटी लगाते हैं।
- **पांच कर स्लैब:** 0%, 5%, 12%, 18%, 28% (कुछ उपकरों के साथ)।
- **ऑनलाइन अनुपालन प्रणाली:** ई-फाइलिंग, जीएसटीएन पोर्टल, ई-वे बिल।
- **व्यवसायों के लिए राहत:** इनपुट टैक्स क्रेडिट, कंपोजिशन स्कीम।

स्रोत: द हिंदू

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)

संदर्भ

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं को चलाने के लिए राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और कंपनी को प्रभावित ग्राहकों को धन वापस करने का निर्देश दिया है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के बारे में -

- **कानूनी आधार: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10 के तहत स्थापित।**
- **कालक्रम**: 2019 के अधिनियम ने 1986 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया, जिसे 9 अगस्त 2019 को अधिसूचित किया गया, 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया।
- **नोडल मंत्रालय**: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

CCPA के कार्य और शक्तियां -

- एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन करता है।
- अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकता है और झूठे/भ्रामक विज्ञापनों की जांच करता है।
- यह सुनिश्चित करना कि कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित या प्रचारित न हो।
- सामूहिक मुकदमा शुरू किया जा सकता है (जिसमें उत्पाद वापस मंगाना, धन वापसी या लाइसेंस रद्द करना शामिल है)।
- अपने जांच विंग (महानिदेशक की अध्यक्षता में) के माध्यम से पूछताछ और जांच का संचालन करता है।
- **अनुचित प्रथाओं को बंद करने का आदेश दे सकता है, दंड लगा सकता है, और उपभोक्ता कल्याण उपाय सुनिश्चित कर सकता है।**

CCPA की संरचना -

- एक मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में
- दो आयुक्तों द्वारा समर्थित:
  - एक वस्तुओं से संबंधित मुद्दों के लिए।
  - एक सेवा-संबंधी शिकायतों के लिए।

ऐसे विज्ञापनों के नैतिक मुद्दे -

- **धोखा:** झूठे वादों से उपभोक्ताओं को गुमराह करना → सूचित विकल्प के अधिकार का उल्लंघन है।
- **विश्वास का शोषण:** उपभोक्ताओं को असुरक्षित या अधिक कीमत वाले विकल्पों के लिए गुमराह करने हेतु मशहूर हस्तियों/प्रभावशाली व्यक्तियों का उपयोग करना।
- **अनुचित लाभ:** कंपनियां निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के बजाय खरीदारों को धोखा देकर अनुचित बाजार शक्ति हासिल करती हैं।
- **उपभोक्ताओं को नुकसान:** वित्तीय हानि, सुरक्षा जोखिम, निराशा → विशेष रूप से कमजोर समूह (बुजुर्ग, छात्र, गरीब)।
- **उपभोक्ता विश्वास का क्षरण:** भ्रामक विज्ञापन ब्रांडों और समग्र बाजार में विश्वास को कम करते हैं।
- **नैतिक जिम्मेदारी:** कंपनियों को शोषणकारी अनुनय पर नहीं, बल्कि सच्ची पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

भारत में भ्रामक विज्ञापनों के लिए कानूनी ढांचा -

- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019**
  - भ्रामक विज्ञापन को परिभाषित करता है।
  - **CCPA** को दंड लगाने, बंद करने का आदेश देने तथा समर्थनकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है।

- **केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995**
  - केबल टीवी पर भ्रामक/झूठे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है।
- **औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954**
  - भ्रामक चिकित्सा/स्वास्थ्य संबंधी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है।
- **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006**
  - खाद्य विज्ञापनों में झूठे दावों पर दण्ड लगाया जाता है।
- **विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009**
  - भ्रामक पैकेजिंग और लेबलिंग प्रथाओं को विनियमित करता है।
- **ASCI (भारतीय विज्ञापन मानक परिषद) दिशानिर्देश (स्व-नियमन)**
  - स्वैच्छिक कोड यह सुनिश्चित करता है कि विज्ञापन ईमानदार हों, आक्रामक न हों, तथा उपभोक्ताओं का शोषण न करें।

स्रोत: [इंडियनएक्सप्रेस]

SMILE योजना

संदर्भ

भारत सरकार ने **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को** बढ़ावा देने के लिए **SMILE योजना** के तहत **15 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया**।

SMILE योजना के बारे में -

- **SMILE (Support for Marginalized Individual for Livelihood and Enterprise) योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय क्षेत्र योजना है।**
- **इसकी दो उप-योजनाएँ हैं** :
  1. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास।
  2. भीख मांगने में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास।
- यह एक व्यापक योजना है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने में लगे लोगों दोनों के लिए कल्याण और पुनर्वास उपायों को शामिल किया गया है।

SMILE योजना की विशेषताएं -

- **शिक्षा सहायता:** कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।
- **कौशल विकास एवं आजीविका: PM-DAKSH** योजना के तहत प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- **स्वास्थ्य सहायता: PM-JAY** के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य पैकेज**,** चयनित अस्पतालों में लैंगिक पुनर्पुष्टि (Gender Reaffirmation) सर्जरी की सुविधा।
- **आवास सुविधा:** आश्रय, भोजन, वस्त्र, मनोरंजन, चिकित्सा सहायता और कौशल विकास प्रदान करने के लिए **'गरिमा गृह'** की स्थापना।
- **संरक्षण तंत्र:** अपराधों की निगरानी, पंजीकरण, जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में **ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ का गठन।**
- **डिजिटल सहायता:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने में लगे व्यक्तियों को जानकारी और समाधान प्रदान करने के लिए एक **राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन।**
- **नोडल मंत्रालय:** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

स्रोत: ईटीवीभारत

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)

संदर्भ
भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्लियों (Big Cats) के संरक्षण प्रयासों में इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) और इसके अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र शैली के विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान की है।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) -
उत्पति -
- **प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया।**
- फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित।

कार्यान्वयन -
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्थापित।
- संरक्षण विशेषज्ञता, वित्तपोषण और ज्ञान साझा करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है।

उद्देश्य -
- **7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा।**
- जनसंख्या में गिरावट को रोकना तथा आवास की हानि, अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन और संघर्षों से उत्पन्न खतरों को दूर करना।

सदस्यता -
- **भारत, निकारागुआ, इस्वातिनी, सोमालिया और लाइबेरिया** द्वारा अनुसमर्थित।
- सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों (रेंज और गैर-रेंज दोनों देशों) के लिए खुला।

अनुदान -
- भारत ने **₹150 करोड़ (2023-2028) देने की प्रतिबद्धता जताई**।
- द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और दाता एजेंसियों के माध्यम से अतिरिक्त सहायता जुटाई जाएगी।

संरक्षण में भूमिका -
- **सहयोगात्मक मंच**: नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, सरकारों और संरक्षणवादियों को जोड़ता है।
- **ज्ञान साझा करना**: आवास प्रबंधन, अवैध शिकार विरोधी और पारिस्थितिक बहाली में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- **वित्तीय एवं तकनीकी सहायता**: कम संसाधन वाले देशों को वित्तपोषण पूल, अनुसंधान और विशेषज्ञता प्रदान करता है।
- **वैश्विक तालमेल**: **सीआईटीईएस, सीएमएस** और राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कार्यक्रमों जैसी संधियों का पूरक।

जलवायु और पारिस्थितिक लाभ -
- शीर्ष शिकारियों की सुरक्षा से पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन, जैव विविधता और पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- वन और चरागाह बहाली का समर्थन करता है → कार्बन पृथक्करण और जलवायु अनुकूलन में सहायता करता है।

स्रोत: डीडीन्यूज